

फोन : कार्यालय -  
आवास -

प्रेषक,

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर -



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : 34...../सम्बद्धता/2019

दिनांक 07/02/2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

राम भरोसे पाण्डेय डिग्री कालेज,

खजुरिया, पोस्ट-मऊ (बांसी), सिद्धार्थनगर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 22.11.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्राचार्य एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं०	पद	प्राचार्य/प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार कार्ड
1	प्राचार्य	डॉ० बालकृष्ण शर्मा	कृष्ण शर्मा	12.09.1974	471286414667
2	सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)	श्री थम्मन सिंह	घासीराम	15.07.1980	502745408228
3	सहायक प्रोफेसर (हिन्दी)	श्री कुलदीप कुमार	वीरेन्द्र कुमार	05.05.1991	810633466766
4	सहायक प्रोफेसर (भूगोल)	श्री आशीष कुमार पटेल	रामबली शर्मा	03.07.1994	303805622605
5	सहायक प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र)	श्री राकेश कुमार	रामबरन	01.05.1984	357168417649
6	सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी)	श्री कालिका प्रसाद यादव	विश्वनाथ यादव	01.01.1978	220793956819

नोट- उपरोक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
  1. प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

कुलसचिव